

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी  
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 24/2010  
संस्थित दिनांक 19.01.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
अंजड़, जिला बड़वानी

- अभियोगी

वि रू द्ध

परसराम पिता मंशाराम यादव, आयु 32 वर्ष,  
पेशा-ड्राईवरी व कृषि, निवासी-छोटी कसरावद,  
तहसील व जिला बड़वानी

- अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता - श्री विशाल कर्मा

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 21-09-2016 को घोषित)

**01-** आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 240/2009 के आधार पर दिनांक 28.12.2009 को शाम लगभग 05:30 बजे मण्डवाड़ा बायपास, बड़ा पुल, लोक मार्ग पर बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने तथा आशीष, बियानसिंह, सुमन पति रमेश, जानूबाई, बद्री, सुमन पति गोपीलाल, बायरीबाई, रामसिंह, खुड़ीबाई, अंजली, पिकी व ताताराम को साधारण उपहति कारित करने व फरियादी सोहन को घोर उपहति कारित करने तथा उक्त वाहन को बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के चलाने के कारण भादवि की धारा 279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 का अभियोग है।

**02-** प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी ही एकमात्र स्वीकृत तथ्य है।

**03-** अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.12.2009 को शाम लगभग 05:30 बजे फरियादी सोहन पिता बद्रीलाल यादव बस में बैठकर बड़वानी से जा रहा था, बस का ड्राईवर बस को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था, मण्डवाड़ा पुल के पास बस के चालक ने बस को पलटी खिला दिया, जिससे उसे नाक पर व बाएं पैर के घुटने तथा सीने में चोटें आईं, उसके पिता को भी दाहिनी आंख व पीछे सिर में चोटें आईं तथा बस में बैठी शेष सवारियों को भी चोटें आई थीं, जिनको साथ लेकर वह थाना अंजड़ पर गया। बस का चालक बस को पलटी खिलाकर मौके से भाग गया। फरियादी ने बस का नंबर एमपी-46-पी-0207 देखा था। इस घटना की रिपोर्ट

फरियादी सोहन ने थाना अंजड़ पर दर्ज कराई, जिस पर से थाने पर अपराध क्रमांक 240/2009 दर्ज कर आहत यात्रियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी गिरफ्तार कर उसके पास से वाहन बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 मय दस्तावेजों व ड्राइवर की चालन अनुज्ञप्ति के जप्त कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

**04-** उपरोक्त अनुसार पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां तैयार कर, पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे क्लेम प्राप्त हेतु झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

**05-** प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या घटना दिनांक 28.12.2009 को शाम लगभग 05:30 बजे मण्डवाड़ा बायपास, बड़ा पुल पर वाहन बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 के पुल पर से पलटने के कारण उसमें सवार यात्रीगण आशीष, बियानसिंह, सुमन पति रमेश, जानूबाई, बद्री, सुमन पिता गोपीलाल, बायरीबाई, रामसिंह, खुडीबाई, अंजली, पिकी व ताताराम को साधारण उपहति व फरियादी सोहन को घोर उपहति कारित हुई ?
ब	क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान लोक मार्ग पर उक्त बस को आरोपी ने उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर उसमें बैठे यात्रियों तथा बाहर खड़े लोगों का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
स	क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान लोक मार्ग पर उक्त बस को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया ?

**- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-‘अ’ पर सकारण निष्कर्ष -**

**06-** उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी बद्री (अ.सा.-1), फरियादी सोहन (अ.सा.-2), सुमनबाई (अ.सा.-3), जानूबाई (अ.सा.-4), सुमनबाई पति गोपीलाल (अ.सा.-5), रायसिंह (अ.सा.-6), गायत्रीबाई (अ.सा.-7), भियानसिंह (अ.सा.-10) तथा तोताराम (अ.सा.-11) का कथन है कि वे यादव बस में बैठकर जा रहे थे कि ड्राइवर ने गाड़ी का संतुलन खो दिया, जिससे गाड़ी पलटी खा गई, जिससे उन्हें चोटें आईं और बस में बैठी अन्य सवारियों को भी चोटें आईं। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी सोहन (अ.सा.-2) ने लिखाना स्वीकार किया है। साक्षी सोहन (अ.सा.-2) ने अभियुक्त से राजीनामा करना भी स्वीकार किया है। शेष सभी साक्षियों ने स्वयं को चोटें आना बताया है

और मेडिकल परीक्षण कराना बताया है। अभियोजन के अन्य आहत साक्षी आशीष पण्डित (अ.सा.—9) का कथन है कि वर्ष 2009 में वह अपनी मोटरसाईकिल लेकर ग्राम बड़दा से मण्डवाड़ा जा रहा था। वह रोड़ के किनारे खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से आ रही यादव बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर व सीने में चोट आई थी और वह बेहोश हो गया था तथा पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था।

**07—** अभियोजन साक्षी डॉ. जे. पी. पण्डित (अ.सा.—12) का कथन है कि दिनांक 29.12.2009 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में थाना अंजड़ से आरक्षक फुलसिंह द्वारा आहत गायत्रीबाई पति मिश्रीलाल को मेडिकल परीक्षण हेतु लाने पर उसने परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—9 में दर्शित चोटें आहत को होना पाई थीं तथा दिनांक 30.12.2009 को आरक्षक विक्रम द्वारा आहत अंजलि पिता हरिराम आयु 4 वर्ष को मेडिकल परीक्षण हेतु लाने पर उसने परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—10 में दर्शित चोटें आहत को होना पाई थीं। इसी प्रकार उक्त दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा आहत पिकी पिता हरिराम को मेडिकल परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—11 में दर्शित चोटें उक्त आहत को आना पाई गईं। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक 04.01.2010 को आरक्षक आँकार द्वारा लाने पर आहत तोताराम पिता मांगीलाल का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे कोई बाहरी चोट होना नहीं पाया था। साक्षी ने उक्त आहत के संबंध में दिया गया परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—12 को प्रमाणित किया कर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना प्रकट किया है।

**08—** इसी प्रकार अभियोजन साक्षी डॉ. के. सी. मालवीय (अ.सा.—8) का कथन है कि दिनांक 29.12.2009 को वह जिला चिकित्सालय, बड़वानी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहत सोहन पिता बद्रीलाल, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम उचावद की नाक की हड्डी का एक्स—रे परीक्षण किया गया, जिसमें उक्त आहत की नाक की हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। साक्षी द्वारा इस संबंध में एक्स—रे परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—5 को भी प्रमाणित किया है, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है।

**09—** अभियोजन के उक्त समस्त आहत साक्षीगण में से किसी भी साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि उन्हें वाहन दुर्घटना में चोटें नहीं आईं अथवा उनका मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ था तथा उक्त दोनों ही चिकित्सक साक्षीगण द्वारा आहतगण को आई चोटों को प्रमाणित भी किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपरीक्षण के अभाव में यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर दुर्घटना में फरियादी सोहन को गम्भीर उपहति और शेष आहत साक्षीगण को साधारण उपहति कारित हुई।

— विचारणीय प्रश्न क मांक—‘ब’ एवं ‘स’ पर सकारण निष्कर्ष —

**10—** उपरोक्त विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने एवं प्रकरण में संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

**11-** उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी गजेन्द्रसिंह (अ.सा.-15) का कथन है कि दिनांक 28.12.2009 को उसे फरियादी सोहन पिता बट्टीलाल ने यादव बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर बस को पलटी खिलाने और उससे उन्हें चोटें आने के संबंध में प्रदर्श पी-17 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी ने उसे वाहन चालक का नाम, पता तथा सरनेम नहीं बताया था।

**12-** अभियोजन साक्षी कमलसिंह दसौंधी (अ.सा.-13) का कथन है कि उसने दिनांक 28.12.2009 को पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 240/2009 की विवेचना के दौरान फरियादी व आहत साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए तथा घटनास्थल मण्डवाड़ा पुल पहुंचकर फरियादी सोहन की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रपी-13 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसके पेश करने पर उक्त बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 को मय रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति और आरोपी की चालन अनुज्ञप्ति के प्रदर्श पी-14 के अनुसार जप्त किया था। आहत सोहन की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके नाक की हड्डी में अस्थिभंग कारित होने पर भादवि की धारा 338 बढ़ाई गई और वाहन का रजिस्ट्रेशन पेश नहीं करने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 139/192 बढ़ाई गई। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिए थे अथवा उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

**13-** अभियोजन साक्षी मोहसीन (अ.सा.-14) का कथन है कि उसकी क्वालिटी ऑटो मोटर गैरेज के नाम से थाना अंजड़ के सामने दुकान है। उसने दिनांक 30.12.2009 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 240/2009 में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उक्त बस को चालू अवस्था में पाया था और कोई तकनीकी त्रुटि नहीं पाई गई। साक्षी ने उसके द्वारा दी गई यांत्रिकीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन की जांच थाने पर की थी और उसने बस को चलाकर नहीं देखा था।

**14-** इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा उक्त बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 को घटना दिनांक, समय व स्थान लोक मार्ग पर चलाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं। यहां तक कि, आहत साक्षीगण ने अभियुक्त की पहचान भी वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान लोक मार्ग पर उक्त वाहन बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर उसमें बैठे यात्रियों तथा बाहर खड़े लोगों का मानव जीवन संकटापन्न कर आहत सोहन को घोर उपहति और शेष आहतगण को साधारण उपहतियां कारित की। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने

उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के उक्त बस को चलाया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

**15—** अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त परसराम पिता मंशाराम यादव, आयु 32 वर्ष, निवासी—छोटी कसरावद, तहसील व जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित करता है।

**16—** अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं व अभियुक्त की निरोध अवधि बाबत दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

**17—** प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एमपी-46-पी-0207 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दनामे पर है, जो अपील अवधि पश्चात अपील ना होने पर, उसके पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.